

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
 प्रकरण क्रमांक 243/2012  
 संस्थापित दिनांक 07/05/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-  
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. पप्पू उर्फ श्यामबाबू पुत्र स्व0 हरनारायण समाधिया उम्र 48 वर्ष  
 निवासी समाधिया कॉलोनी गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 304ए भा.द.सं )  
 (राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य)  
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री ए0के0समाधिया)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 14.12.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 15.02.12 को 15:00 बजे सिरसौदा के चिमनी भट्टा के पास लोकमार्ग पर स्वराज ट्रैक्टर क्र0 एम.पी.-30-ए.ए.-2776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए चिमनी के सामने खड़े कमलेश मिर्धा को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.द.सं. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.12 को मृतक कमलेश पप्पू समाधिया के साथ स्वराज ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 पर मजदूरी करने गया था। वह सिरसौदा के पास चिमनी पर खड़ा था तभी आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू समाधिया ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और कमलेश के समाने से टक्कर मार दी थी जिससे कमलेश घायल हो गया था एवं इलाज के दौरान दिनांक 16.02.12 को कमलेश की जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में मृत्यु हो गयी थी। जांच में ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 के चालक पप्पू उर्फ श्यामबाबू के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर पुलिस थाना गोहद में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.02.12 को 15:00 बजे सिरसौदा के चिमनी भट्टा के पास लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन स्वराज ट्रैक्टर क्र० एम.पी.-30-ए.ए.-2776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक कमलेश मिर्धा में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से दुर्जन अ०सा०1, सीताराम अ०सा०2, श्रीमती सुशीला अ०सा०3, महेन्द्र अ०सा०4, श्रीनिवास अ०सा०5, ए.एस.आई. एन०सी०यादव अ०सा०6, डॉ० अजय गुप्ता अ०सा०7, एस०आई० शिवकुमार शर्मा अ०सा०8, राजेश शर्मा अ०सा०9 एवं डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०10 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी सीताराम अ०सा०2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को जानता है। मृतक कमलेश उसका साला था घटना उसके न्यायालयीन कथन से 2-3 साल पहले शाम के 4-5 बजे की है। श्यामबाबू समाधिया ट्रैक्टर लेकर आया था कमलेश रोड के किनारे खड़ा हुआ था। श्यामबाबू जोरदारी में ट्रैक्टर लेकर आया था ट्रैक्टर में मिट्टी भरी हुई थी ट्रैक्टर उससे सध नहीं पाया था और उसने कमलेश के टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से कमलेश गंभीर हालत में पहुंच गया था उसे अस्पताल लेकर गये थे अस्पताल से कमलेश को दूसरे दिन ग्वालियर रैफर कर दिया गया था ट्रैक्टर नीले रंग का था जिसका नंबर वह नहीं बता सकता है। ट्रैक्टर स्वराज था। घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे घटना की तारीख ध्यान नहीं है वह आरोपी श्यामबाबू को इसलिए जानता है क्योंकि जहां श्यामबाबू का मकान है वहीं मृतक कमलेश का घर है।

8. साक्षी सुशीला अ०सा०3 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से चार साल पहले की है पप्पू ट्रैक्टर चला रहा था कमलेश बगल में खड़ा था ट्रैक्टर पलट गया था वह मौके पर नहीं थी अस्पताल में देखने पहुंची थी। ट्रैक्टर पलटने से कमलेश की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना कैसे हुई थी उसे जानकारी नहीं है पप्पू के घरवालों ने बताया था कि पप्पू ट्रैक्टर चला रहा था।

9. साक्षी महेन्द्र अ०सा०4 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 साल पहले उसके चाचा कमलेश का एक्सीडेंट हो गया था वह गोहद अस्पताल पहुंचा था वहां उसे चाचा कमलेश मिले थे उसे नहीं पता कि किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था किसने किया था वह एक्सीडेंट करने वाले वाहन का नंबर नहीं बता सकता। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी श्यामबाबू ने आरोपित ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर कमलेश के टक्कर मार दी थी।

10. साक्षी दुर्जन अ०सा०1 ने अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। साक्षी श्रीनिवास अ०सा०5 ने भी अपने कथन में घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

11. राजेश शर्मा अ0सा09 जो कि आरोपित ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 एक पंजीकृत स्वामी है ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है उसके ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 को कल्लू खां नामक ड्राइवर चलाता था। दिनांक 15.02.12 को उसका ट्रैक्टर घर पर ही था पुलिसवाले उसके घर आये थे और ट्रैक्टर जप्त करके ले गये थे जप्ती पंचनामा प्र0पी-5 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रमाणीकरण प्र0पी-9 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-6 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे आरोपी श्यामबाबू का ड्राइविंग लाइसेन्स जप्त किया था एवं व्यक्त किया है कि पुलिस ने उससे कहा था कि ड्राइविंग लाइसेन्स वाला ड्राइवर लेकर आओ तब वह ड्राइविंग लाइसेन्स वाला ड्राइवर लेकर थाने गया था। पद क्रमांक 3 उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को जानता है तथा वह उसकी जमानत कराने गया था इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी का कहना है कि वह आरोपी श्यामबाबू को नहीं जानता है।

12. एस0आई0 शिवकुमार शर्मा अ0सा08 द्वारा प्र0पी-8 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा010 द्वारा मृतक कमलेश की प्रारंभिक चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी-10 को प्रमाणित किया गया है। डॉ0 अजय गुप्ता अ0सा07 द्वारा मृतक कमलेश की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-7 को प्रमाणित किया गया है एवं ए0एस0आई0 एन0सी0 यादव अ0सा06 द्वारा प्र0पी-4 की मर्ग जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है तथा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या मृतक कमलेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी ? उक्त संबंध में साक्षी सीताराम अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन कमलेश रोड के किनारे खड़ा था तो ट्रैक्टर वाले ने कमलेश के टक्कर मार दी थी जिससे कमलेश गंभीर हालत में पहुंच गया था एवं कमलेश को ग्वालियर रैफर कर दिया गया था मृतक कमलेश उसका साला था। श्रीमती सुशीला अ0सा03 ने भी कमलेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होना बताया है। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि पप्पू ट्रैक्टर चला रहा था कमलेश नीचे खड़ा था ट्रैक्टर पलट जाने से कमलेश की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी महेन्द्र अ0सा04 ने भी कमलेश की मृत्यु एकसीडेन्ट में होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन कमलेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप होने के बिन्दु पर तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

15. अभियोजन कहानी के अनुसार मृतक कमलेश का एकसीडेन्ट दिनांक 15.02.12 को हुआ था। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा10 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 15.02.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पप्पू समाधिया द्वारा लाये जाने पर आहत कमलेश का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने कमलेश के सीने, गर्दन, एवं पीठ में चोटें पाई थीं उसके द्वारा आहत का प्रारंभिक उपचार किया गया था तथा आहत को उपचार हेतु जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर रैफर किया गया था। कमलेश की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी-10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ0 अजय गुप्ता अ0सा07 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 17.02.12 को जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में कम्पू थाने के आरक्षक अंगदसिंह द्वारा लाये जाने पर मृतक कमलेश का शव परीक्षण किया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु उसके शवपरीक्षण के पूर्व 6 से 24 घण्टे के अंदर हुई होगी मृत्यु का कारण गर्दन की चोट के कारण श्वसन एवं हृदय तंत्र का विफल होना था उसका शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक को आई चोटें किसी गाड़ी के नीचे दब जाने से आना संभव है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है।



16. इस प्रकार डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१० के कथनों से यह दर्शित है कि उसने मृतक कमलेश का दिनांक 15.02.12 को प्रारंभिक चिकित्सकीय परीक्षण किया था तथा उसे उपचार हेतु जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर रैफर किया था एवं डॉ० अजय गुप्ता अ०सा०७ के कथनों से यह भी दर्शित है कि उसने दिनांक 17.02.12 को मृतक कमलेश का शवपरीक्षण किया था तथा कमलेश की मृत्यु उसके शवपरीक्षण करने के पूर्व 6 से 24 घण्टे के अंदर हुई थी। ए०एस०आई० एन०सी० यादव अ०सा०६ जिसके द्वारा प्र०पी-4 की जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है, ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि कमलेश की मृत्यु दिनांक 16.02.12 को हो गयी थी। साक्षी सीताराम अ०सा०२, सुशीला अ०सा०३, एवं महेन्द्र अ०सा०४ ने भी कमलेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होना बताया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि मृतक कमलेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप दिनांक 16.02.12 को हुई थी।

17. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त वाहन दुर्घटना आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू द्वारा आरोपित ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-30-ए.ए.-2776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए कारित की गयी थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि साक्षी दुर्जन अ०सा०१ एवं श्रीनिवास अ०सा०५ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी सुशीला अ०सा०३ जोकि मृतक कमलेश की पत्नी है घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि घटना कैसे हुई थी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी महेन्द्र अ०सा०४ भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि किस वाहन से एकसीडेन्ट हुआ था और किसने किया था। साक्षी राजेश शर्मा अ०सा०९ जोकि आरोपित ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी है ने भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

18. इस प्रकार प्रकरण में साक्षी दुर्जन अ०सा०१, सुशीला अ०सा०३, महेन्द्र अ०सा०४, श्रीनिवास अ०सा०५ एवं राजेश शर्मा अ०सा०९ द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी सीताराम अ०सा०२ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना वाले दिन कमलेश रोड के किनारे खड़ा हुआ था एवं श्यामबाबू जोरदारी में ट्रैक्टर लेकर आया था ट्रैक्टर में मिट्टी भरी हुई थी ट्रैक्टर उससे सध नहीं पाया था तथा उसने कमलेश के टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

19. साक्षी सीताराम अ०सा०२ ने अपने कथन में आरोपी श्यामबाबू द्वारा ट्रैक्टर से कमलेश के टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन उसके पुलिस कथन से भी पूर्णतः पुष्ट रहा है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी आरोपी श्यामबाबू द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किए जाने के बिन्दु पर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है ऐसी स्थिति में साक्षी सीताराम अ०सा०२ के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है एवं सीताराम अ०सा०२ के कथन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रैक्टर को आरोपी श्यामबाबू चला रहा था।

20. आरोपी की ओर से तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१० ने अपने कथन में यह बताया है कि आहत कमलेश ने खुद के ट्रैक्टर के गिरने से चोटें आना बताया था ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१० ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि आहत अपनी चोटें खुद के ट्रैक्टर से गिरने से आना बता रहा था परन्तु डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१० के कथनों से यह भी दर्शित है कि कमलेश को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू ही लेकर गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में आहत कमलेश का कोई कथन भी चिकित्सक द्वारा नहीं लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सीताराम अ०सा०२ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी श्यामबाबू उर्फ पप्पू द्वारा ट्रैक्टर को चलाते हुए कमलेश के टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासों से परे रहा है इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ० आलोक शर्मा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं चिकित्सक साक्षी में

अन्तर्विरोध हो वहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कथन चिकित्सक के कथन पर अभिभावी रहेगा।

21. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी सीताराम अ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू द्वारा ट्रैक्टर को चलाते हुए कमलेश में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में साक्षी सीताराम अ0सा02 की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

22. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि सीताराम के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में सीताराम अ0सा02 के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में साक्षी दुरजन अ0सा01, सुशीला अ0सा03, महेन्द्र अ0सा04, श्रीनिवास अ0सा05 एवं राजेश शर्मा अ0सा09 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार “किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।” प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी सीताराम अ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी श्यामबाबू ने जोरदारी से ट्रैक्टर चलाते हुए कमलेश के टक्कर मार दी थी उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहा है ऐसी स्थिति में साक्षी सीताराम अ0सा02 के कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु आरोपी की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी को मिथ्या प्रकरण में संलिप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है एवं उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि साक्षीगण द्वारा प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का नंबर नहीं बताया गया है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। साक्षी सीताराम अ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा अपने ट्रैक्टर को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है। प्रकरण में आरोपी की पहचान संदिग्ध नहीं है ऐसी स्थिति में मात्र ट्रैक्टर का नंबर न बताने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी राजेश शर्मा अ0सा09 जोकि आरोपित ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी है, ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपित ट्रैक्टर को कल्लू खां नामक व्यक्ति चलाता था। अतः राजेश शर्मा अ0सा09 के कथनों से यह स्पष्ट है कि आरोपित ट्रैक्टर को आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू नहीं चलाता था परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है साक्षी राजेश शर्मा अ0सा09 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को नहीं जानता है परन्तु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है तो उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस ने उससे आरोपी श्यामबाबू का ड्राइविंग लाइसेन्स जप्त किया था एवं पुलिस ने उसके सामने श्यामबाबू को गिरफ्तार किया था। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को जानता है इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी श्यामबाबू को नहीं जानता है इस प्रकार साक्षी राजेश शर्मा अ0सा09 द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए हैं। उक्त साक्षी के कथनों से यही दर्शित होता है कि उक्त साक्षी आरोपी को बचाने के लिए न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। ऐसी स्थिति में साक्षी राजेश शर्मा अ0सा09 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं साक्षी राजेश शर्मा अ0सा09 के कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी सीताराम अ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी श्यामबाबू समाधिया ने जोरदारी से ट्रैक्टर चलाते हुए कमलेश में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रैक्टर क्र0 एम.पी.-30-ए.ए.2776 को आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू चला रहा था। जहां तक आरोपी द्वारा ट्रैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी सीताराम अ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी जोरदारी में ट्रैक्टर लेकर आया था ट्रैक्टर में मिटटी भरी हुई थी ट्रैक्टर आरोपी से सघ नहीं पाया था और उसने कमलेश के टक्कर मार दी थी। इस प्रकार सीताराम अ0सा02 के कथनों से यही दर्शित होता है कि आरोपी ट्रैक्टर को उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था एवं ट्रैक्टर उसके नियंत्रण में नहीं था तथा आरोपी ने आरोपित ट्रैक्टर को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए मृतक कमलेश में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की थी।

27. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू ने दिनांक 15.02.12 को 15:00 बजे सिरसौदा के पास चिमनी भट्टा के पास लोकमार्ग पर अपन आधिपत्य के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए.ए. 2776 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए चिमनी के सामने खड़े कमलेश में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू को भा0द0सं0 की धारा 304ए के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

28. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

### पुनश्च-

29. आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

30. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में पूर्णतः सक्षम था। आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू द्वारा जिस उपेक्षापूर्ण तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुये वाहन दुर्घटना कारित की गई है। उन परिस्थितियों में आरोपी को कठोर दण्ड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी पप्पू उर्फ श्यामबाबू को भा0द0सं0 की धारा 304ए के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित करती है।

31. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
32. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर को एमपी-30-ए.ए.-2776 अपील अवधि पश्चात उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जावे एवं जप्तशुदा सीलबंद कपड़ों की पोटली अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
33. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

तदनुसार सजा वारण्ट तैयार किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 14.12.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)